"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 63-अ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 मार्च 2002—फाल्गुन 29, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक 2163/21-अ/प्रारूपण/01.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 8-3-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 3 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2002

वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2002 है.

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिये राज्य की संचित निधि में से 1,22,49,93,200 रुपयो का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग एक सौ बाईस करोड़, उन्चास लाख, तिरान्वे हजार, दो सौ रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)		(3)		(4)
			रुपये	रुपये	रुपये
..	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	0	1,00,000	1,00,000
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	36,35,000	0	36,35,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	80,000	0	80,000
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	73,96,000	0	73,96,000
10	वन	राजस्व	6,70,00,000	0	6,70,00,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,99,000	0	4,99,000
13	कृषि	राजस्व	1,82,73,000	0	1,82,73,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	10,29,000	0	10,29,000
15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	5,04,00,000	0	5,04,00,000

(1)	(2)		(3)		(4)
			रुपये	रुपये	रुपये
17	सहकारिता	राजस्व	1,84,90,000	0	1,84,90,000
18	श्रम	राजस्व	27,56,000	0	27,56,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,10,56,000	0	1,10,56,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	1,63,30,000	0	1,63,30,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	19,98,000	0	19,98,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	15,23,93,200	0	15,23,93,200
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,18,79,000	0	6,18,79,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	16,75,000	0	16,75,000
34	समाज कल्याण	राजस्व	25,72,000	0	25,72,000
36	परिवहन	राजस्व	2,00,000	0	2,00,000
37	पर्यटन	राजस्व	11,40,000	0	11,40,000
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	14,86,77,000	0	14,86,77,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	5,07,91,000	0	5,07,91,000
48	ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान.	राजस्व	2,55,82,000	0	2,55,82,000
		पूंजी	62,80,000	0	62,80,000
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	77,000	0	77,000
53	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,88,76,000	0	1,88,76,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	89,73,000	0	89,73,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	2,88,00,000	0	2,88,00,000
65	विमानन विभाग	राजस्व	61,40,000	0	61,40,000
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	10,00,000	0	10,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	67,06,000	0	67,06,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	19,00,000	0	19,00,000
78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	38,10,000	0	38,10,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,76,63,000	0	1,76,63,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	32,58,85,000	0	32,58,85,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	94,68,000	0	94,68,000
82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	13,86,00,000	0	13,86,00,000
81	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	68,64,000	0	68,64,000
	योग	राजस्व	1,06,32,30,200	0	1,06,32,30,200
		पूंजी	16,16,63,000	1,00,000	16,17,63,000
	वृहद योग		1,22,48,93,200	1,00,000	1,22,49,93,200

"यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी, 2002 को पारित किया गया."

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक 2163/21-अ/प्रारूपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र. 1) अधिनियम, 2002 (क्र. 3 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 3 of 2002)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 1), ACT, 2002

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2001-2002.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation Act, 2002 (No. 3 of 2002).

Issue of Rs. *122,49,93,200* from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2001-2002.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of ***One Twenty Two Crore Forty Nine Lakh Ninty Three Thousand Two Hundred Only rupees*** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2001-2002 in respect of services specified in column (2) of the schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding: Voted by the Legislative Assembly	Sums not exceeding: Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)		(3)		(4)
			Rs.	Rs.	Rs.
..	Charged Appropriation-Public Debt.	Capital	0	1,00,000	1,00,000
01	General Administration	Revenue	36,35,000	0	36,35,000

(1)	(2)		(3)		(5)
			Rs.	Rs.	Rs.
02	Other expenditure pertaining to General Administration Department.	Revenue	80,000	0	80.000
08	Land revenue and district administration	Revenue	73,96,000	0	73.96.000
10	Forest	Revenue	6,70,00,000	0	6.70,00.000
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department.	Revenue	4,99,000	0	4,99.000
13	Agriculture	Revenue	1,82,73,000	0	1,82,73.000
14	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department.	Revenue	10,29,000	0	10.29.000
15	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under Special Component Plan for Scheduled Castes.	Revenue	5,04,00,000	0	5.04.00.000
17	Co-operation	Revenue	1,84,90,000	0	1.84.90.000
18	Labour	Revenue	27,56,000	0	27,56.000
21	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department.	Revenue	1,10,56,000	0	1,10,56,000
23	Water Resources Department	Revenue	1,63,30,000	0	1.63.30.000
26	Expenditure pertaining to culture Department.	Revenue	19,98,000	0	19.98,000
27	School education	Revenue	15,23,93,200	0	15.23.93.200
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Revenue	6,18,79,000	0	6.18.79.000
31	Expenditure pertaining to Planning Economics and Statistics Department.	Revenue	16,75,000	0	16.75.000
34	Expenditure pertaining to Social welfare Department.	Revenue	25,72,000	0	25.72.000
36	Transport	Revenue	2,00,000	0	2.00.000
37	Tourism	Revenue	11,40,000	0	11.40.000
42	Public Works relating to Tribal Areas Sub-plan-roads and bridges.	Capital	14,86,77,000	0	14.86.77.000
44	Expenditure pertaining to Higher Education Department.	Revenue	5,07,91,000	0	5.07,91.000
48	Administration Upgradation Grant Under Eleventh Finance Commission.	Revenue	2,55,82,000	0	2.55.82.000
		Capital	62,80,000	0	62.80.000

(1)	(2)		(3)		(5)
			Rs.	Rs.	Rs.
51	Expenditure pertaining to Religious Trusts and Endowments Department.	Revenue	77,000	0	77,000
53	Financial assistance to Urban bodies under special Component Plan for Scheduled Castes,	Revenue	1,88,76,000	0	1,88,76,000
56	Rural Industries	Revenue	89,73,000	0	89,73,000
58	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity.	Revenue	2,88,00,000	0	2,88,00,000
65	Aviation Department	Revenue	61,40,000	0	61,40,000
66	Welfare of Backward Classes	Revenue	10,00,000	0	10,00,000
67	Public Works-Buildings	Capital	67,06,000	0	67,06,000
69	Expenditure pertaing to Urban Administration and Development Department-Urban Welfare.	Revenue	19,00,000	0	19,00,000
78	Externally Aided Projects pertaining to Rural Industries Department.	Revenue	38,10,000	0	38,10,000
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department.	Revenue	1,76,63,000	0	1,76,63,000
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue	32,58,85,000	0	32,58,85,000
81	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue	94,68,000	0	94,68,000
82	Financial asistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under the tribal area sub-plan.	Revenue	13,86,00,000	0	13,86,00,000
83	Financial assistance to Urban bodies under the tribal area sub-plan.	Revenue	68,64,000	0	68,64,000
	Total	**Revenue**	**1,06,32,30,200**	**0**	**1,06,32,30,200**
		Capital	**16,16,63,000**	**1,00,000**	**16,17,63,000**
	Grand Total		**1,22,48,93,200**	**1,00,000**	**1,22,49,93,200**

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.